भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 655
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2020

लाइसेंसों का रद्दीकरण

655. श्री बृजेन्द्र सिंहः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सरकार को देश के 93000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने को दृष्टिगत रखकर उनके लाइसेंस रद्द करने का विचार है; और
(ख) सरकार द्वारा उक्त सेवाप्रदाताओं द्वारा बकाया राशि के भुगतान-उपरांत, इनके द्वारा अबाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) यदि दूरसंचार सेवा प्रदाता सरकार को देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो लाइसेंस करार के अनुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.2019 के आदेशानुसार लाइसेंसधारकों को भुगतान करने एंव निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

(ख) लागू नहीं होता।

*****